उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-35/2018/1878/92-1-2018-38(अधि0)/2017टीसी
लखनऊ: दिनांक: 18 मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

शासन के कार्यालय-ज्ञाप सं0-23/2018/1701/92-1-2018-38(अधि0)/2017टीसी, दिनांक 08-5-2018 द्वारा श्री राशिमणि मिश्रा, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, को प्रखण्ड-वाराणसी में तैनात करते हुये प्रखण्ड-चन्दौली का अतिरिक्त रूप से कार्य देखे जाने हेतु अधिकृत किया गया था। तात्कालिक प्रभाव से श्री राशिमणि मिश्रा, अधिशासी अभियंता को प्रखण्ड-चन्दौली के स्थान पर प्रखण्ड-गाजीपुर का अतिरिक्त रूप से कार्य देखे जाने हेतु शासन के अग्रिम आदेशों तक अधिकृत किया जाता है।

2- उक्त अतिरिक्त कार्यभार अत्यन्त अस्थाई प्रबन्धन व्यवस्था के अन्तर्गत है एवं उक्त अतिरिक्त कार्यभार हेतु श्री मिश्रा, अधिशासी अभियंता को कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता आदि देय नहीं होगा।

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-35/2018/1878(1)/92-1-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
3- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
7- संबंधित अधिशासी अभियंता द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2
9- कम्प्यूटर अंकन प्रति।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in